

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:एफ.1621 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2420

दिनांक : 8/10/18

संशोधित आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा S.B.C.W.P. No. 8013/18 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.04.18 की पालना में श्री फुलचंद यादव को स्वीकृत संशोधित चयनित वेतन श्रंखला/ए.सी.पी. के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ.1621 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2164 दिनांक 07.08.18 में “याचिका सं0 8313/18 के स्थान पर 8013/18 पढ़ा जावें।” आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.1621 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2420 दिनांक : 8/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रज्म, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर